



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 30012024-251642  
CG-DL-E-30012024-251642

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 30, 2024/माघ 10, 1945

No. 67]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 2024/MAGHA 10, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 75(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची 1 में, क्रम संख्यांक 2 में "मानव निर्मित तंतु" उद्योग के लिए पर्यावरणीय मानक शीर्ष के अधीन मानव निर्मित तंतु से संबंधित क्रम संख्यांक 2 में, उपशीर्ष के अधीन "क. बहिस्त्राव मानक" में टिप्पणी में "फिलामेंट यार्न इकाइयों" शब्दों के पश्चात् "सतत् स्पन यार्न प्रौद्योगिकी से उत्पादन के सिवाय," शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. क्यू-15017/40/2011-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 895(अ), तारीख 15 दिसंबर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2024

**G.S.R. 75(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, in serial number 2 relating to Man-made Fibre, under heading ‘Environmental Standards for Man-made Fibre Industry’, under sub-heading ‘A. Effluent Standards’ in ‘note’, after the words “Filament Yarn Units”, the words “except production from continuous spun yarn technology” shall be substituted.

[F. No. Q-15017/40/2011-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

**Note :** The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and last amended *vide* G.S.R. 895(E), dated the 15<sup>th</sup> December, 2023.